न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर0 केश नं0– 102 / 16–17

मो0 सुमा बनाम् गोवर्धन पासवान

–: आदेश :–

वर्त्तमान वाद अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय से अंतरित होकर प्राप्त हुआ है। आवेदिका मो0 सुमा, पति–स्व0 जगदीश पासवान, सा0–खिरौंधा, थाना–बलबड्डा के आवेदन पर मौजा–खिरौंधा नं0–15, जमाबंदी नं0–23, दाग नं0–130, 171, 310, रकवा क्रमशः – 02–09–14, 00–08–03 एवं 01–13–00 धूर, कुल रकवा– 04–10–17 धूर भूमि से विपक्षी को उच्छेद करने हेतु आवेदन दिया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

आवेदिका द्वारा आवेदन में उल्लेख किया गया मौजा–खिरौंधा नं0–15, जमाबंदी नं0–23 गत सर्वे खतियान में जमाबंदी रैयत चमरू पासवान के नाम से दर्ज है। कुल भूमि बाड़ी एवं धानी बोलकर खेती योग्य भूमि है। आवेदिका दुसाध जाति के समाज में दबे एवं कमजोर जाति के हैं, जिसकी रक्षा करना सरकार का दायित्व है। विपक्षी चौकीदार था। वर्त्तमान में उसका पुत्र राम भजन चौकीदार है, जो समाज के लोगों का शोषण करते आ रहे हैं। विवादित भूमि जमाबंदी रैयत चमरू पासवान के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत जगदीश पासवान के मृत्योपरांत उनकी विधवा मो0 सुमा एवं पुत्र विजय पासवान उत्तराधिकारी हुए, परन्तु जगदीश पासवान की मृत्यु वर्ष 2011 में हो जाने के बाद विपक्षी विवादित भूमि पर जबरन दखल किये हुए हैं और जोत–आबाद कर फसल का उपभोग कर रहे हैं। अंत में आवेदिका के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत् विपक्षी को उच्छेद करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि उक्त वाद विपक्षी पर चलने योग्य नहीं है। मौजा–खिरौंधा नं0–15, जमाबंदी नं0–23 जमाबंदी रैयत चमरू पासवान वल्द चेथरू पासवान के नाम से गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दर्ज है। आवेदिका बिल्कुल बाहरी व्यक्ति हैं और उनका जमाबंदी रैयत से कोई संबंध नहीं है। आवेदिका द्वारा अपने आवेदन में स्पष्ट किया गया है कि विपक्षी जमीन पर दखलकार हैं तथा उपयोग कर रहे हैं। अंचल अधिकारी, मेहरमा द्वारा पारिवारिक संबंध प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि गोवर्धन पासवान जमाबंदी रैयत चमरू पासवान का पोता है। आवेदिका का जमाबंदी रैयत के जमीन से कोई सरोकार नहीं है। जमाबंदी रैयत की जमीन को हड़पने की नियत से उक्त वाद दायर किया गया है। अंत में विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा आवेदिका के आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विपक्षी जमाबंदी रैयत के वंशज हैं। आवेदिका विगत 09 तिथियों से अनुपस्थित चली आ रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदिका को वाद में अभिरूचि नहीं रह गई है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

17/01/19

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

17/01/19

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।